12.3.22 पत्रावली आज राजीनामा हेतु लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से DR श्रीमान ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने स्वयं उप. होकर राजीनामा पेश किया, वादीगण की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार वाद, वादीगण स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Meena
Nikhil
रिंकू नागर
हरिप्रसाद नागर
प्रेम प्रकाश नागर
गिरिराज
जीतेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 9/2022

तारीख दायरा:– 10.02.2022

उनवान

1. मोहित नागर पुत्र श्री हरिप्रसाद जाति धाकड निवासी कांगन्या।
2. निखिल नागर पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति धाकड निवासी कांगन्या।
3. कृष्णा नागर पुत्र प्रेमप्रकाश जाति धाकड नाबालिग की वली माता श्रीमती मीना नागर पत्नी श्री प्रेमप्रकाश जाति धाकड निवासी कांगन्या।
4. ईशान्त नागर पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद जाति धाकड नाबालिग की वली श्रीमती रिंकू नागर पत्नी श्री गिरिराज प्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
2. प्रेमप्रकाश पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
3. गिरिराज प्रसाद पुत्र श्री छीतरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
4. छीतरलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम कांगन्या।
5. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Radhawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जिनका ख़ानदानी शजरा निम्न है :–

स्व.नाथूलाल

स्व.गजानंद पुत्र — स्व.रामनारायण पुत्र

छीतरलाल पुत्र

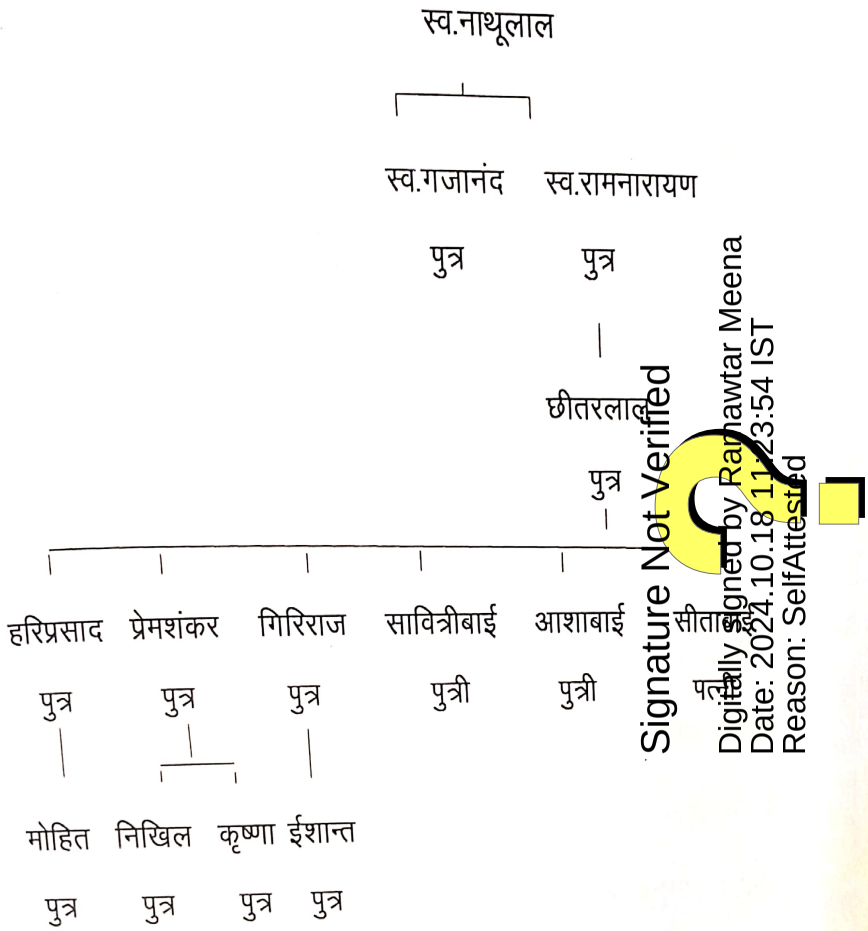

हरिप्रसाद पुत्र — प्रेमशंकर पुत्र — गिरिराज पुत्र — सावित्रीबाई पुत्री — आशाबाई पुत्री — सीताबाई पत्नी

मोहित पुत्र — निखिल पुत्र — कृष्णा पुत्र — ईशान्त पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि स्वर्गीय श्री रामनारायण पुत्र श्री नाथूलाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हाल खसरा नंबर 57 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 250/527 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

... रकबा 8.13 हैक्टर, खसरा नंबर 251 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नंबर 285 रकबा ... हैक्टर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.40 हैक्टर, खसरा नंबर 406 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 411 रकबा 8.34 हैक्टर पुश्तैनी आराजी माल ग्राम कांगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें से सहखातेदार सावित्रीबाई, आशाबाई व ... स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा 3/7 व प्रतिवादी कं. 4 द्वारा स्वयं के हिस्सा 1/14 ... अर्थात् 1/14 हिस्सा तर्क कर देने से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 का प्रत्येक का 13/42–13/42 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी कं. 4 का 1/14 हिस्सा निहित है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में अंकित आराजी वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 को अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी हैं जिसमें जन्मजात अधिकार प्राप्त होने से वादी कं. 1 को अपने पिता की हिस्सा आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के साथ बांट–बराबर का हक अधिकार प्राप्त है एवं वादी कं. 2, 3 को अपने पिता की हिस्सा आराजी में प्रतिवादी कं. 2 के साथ बांट–बराबर का हक अधिकार प्राप्त है तथा इसी प्रकार वादी कं. 4 को अपने पिता की हिस्सा आराजी में प्रतिवादी कं. 3 के साथ बांट–बराबर का हक अधिकार प्राप्त है तथा उक्त पैत्तृक हिस्सानुसार वादीगण अपनी आराजी को पृथक से प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 परिवारिक विभाजन के अनुसार आपसी सहमति से निम्न प्रकार से मौके पर पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी कं. 1 हिस्सा

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	74	0.06 में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी
	143	0.60 में से 0.49 हैक्टर उत्तरी
	393	0.01 हैक्टर
	394	4.40 हैक्टर
	406	0.79 हैक्टर
	411	8.34 में से 0.97 उत्तरी–पश्चिमी कोने की सडक से संलग्न मय ट्यूबवेल

कुल किता 6 की कुल 6.69 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 2, 3 हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी कं. 2 हिस्सा 1/3 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	74	0.06 में से 0.03 हैक्टर उत्तरी
	77	0.04 हैक्टर
	143	0.11 हैक्टर
	411	8.34 में से 7.37

कुल किता 4 की कुल 7.55 हैक्टर

स. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 4 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी कं. 3 हिस्सा 1/2 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	250	8.13 हैक्टर
	250/527	0.70 हैक्टर
	285	0.11 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 3 की कुल 8.94 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 4 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	57	0.08 हैक्टर
	251	0.60 हैक्टर
	कुल किता 2 की कुल	0.68 हैक्टर

य. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 2 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी क्रं. 4 हिस्सा 2/3

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	307	0.20 हैक्टर
	310	1.05 हैक्टर
	311	0.22 हैक्टर
	312	0.01 हैक्टर
	कुल किता 4 की कुल	1.48 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने यह भी अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 अनुसार मौके पर वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण वादीगण को अपनी–अपनी हिस्सा आराजी में कृषि विकास कार्य करवाने व अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त संबंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से गत सप्ताह राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने को निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रं. 4 ने उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया जिसके कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ, ब, स, द, य में वर्णित पारिवारिक विभाजन व मौके के कब्जाकाश्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खाता विभाजन व लगान राज पृथक–पृथक किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकित वादीगण के संयुक्त उपयोग–उपभोग एवं शान्तिपूर्ण संयुक्त काश्त में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, नुकसान कारित नहीं करें एवं आराजी को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, विक्रय, दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद तलबी उभय पक्षकारों द्वारा जवाबदावा इकवाली व राजीनामा प्रस्तुत कर दावा वादीगण स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः वाद वादी स्वीकार कर माल ग्राम कागन्या तहसील सांगोद की वादग्रस्त आराजी का निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (राज.)

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी कं. 1 हिस्सा 1/2 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	74	0.06 में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी
	143	0.60 में से 0.49 हैक्टर उत्तरी
	393	0.01 हैक्टर
	394	4.40 हैक्टर
	406	0.79 हैक्टर
	411	8.34 में से 0.97 उत्तरी–पश्चिमी कोने की सडक से संलग्न मय ट्यूबवेल
कुल किता 6 की कुल		6.69 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajnawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:54 IST
Reason: SelfAttested

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 2, 3 हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी कं. 2 हिस्सा 1/3

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	74	0.06 में से 0.03 हैक्टर उत्तरी
	77	0.04 हैक्टर
	143	0.11 हैक्टर
	411	8.34 में से 7.37
कुल किता 4 की कुल		7.55 हैक्टर

स. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 4 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी कं. 3 हिस्सा 1/2 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	250	8.13 हैक्टर
	250/527	0.70 हैक्टर
	285	0.11 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

कुल किता 3 की कुल 8.94 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 4 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
कांगन्या	57	0.08 हैक्टर
	251	0.60 हैक्टर
	कुल किता 2 की कुल	0.68 हैक्टर

य. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 2 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कं. 4 हिस्सा 2/3 कांगन्या

ख.नं.	रकबा
307	0.20 हैक्टर
310	1.05 हैक्टर
311	0.22 हैक्टर
312	0.01 हैक्टर
कुल किता 4 की कुल	1.48 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghavtar Meena
Date: 2022.10.18 11:23:54 IST
Reason: Self Attested

उक्तानुसार पक्षकारान को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद